Need to ensure participation of Panchayat Members in the process of development in Siddarth Nagar, Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं एक अत्यंत लोक महत्त्व के विषय को, जो सभी माननीय सदस्य के क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जैसा महत्व लोक सभा और राज्य सभा का है, प्रदेशों में विधान सभा और विधान परिषद का है, उसी तरह से जिला स्तर पर ग्राम सभाओं का और क्षेत्रीय पंचायत का है, जिसे बीडीसी भी कहते हैं । ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उसी ब्लॉक डेवल्मेंट काउंसिल से होता है, जिसमें क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है । क्षेत्रीय पंचायत सदस्य प्रधान से भी बड़े क्षेत्रफल से जीत कर आता है, लेकिन विडंबना यह है कि विकास में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है । वह किसी प्रस्ताव को नहीं दे सकता है । सारे प्रस्ताव उस ब्लॉक डेवल्पमेंट काउंसिल के माध्यम से आते हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होता है और सभी राज्यों के, सभी लोक सभा में उन ब्लॉकों के क्षेत्रीय पंचायत सदस्य निर्वाचित हो कर आते हैं, तो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए । जैसे प्रधान, विधायक और सांसद की भागीदारी विकास के मामलों में सुनिश्चित होती है । उन्हें मानदेय भी नहीं मिलता है । जैसे प्रधान को मानदेय मिलता है या अन्य जनप्रतिनिधियों को मानदेय मिलता है । जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी उन्हें मानदेय नहीं मिलता है । मैं पूरे सदन की तरफ से मांग करता हूँ कि अपने देश के, अपने उत्तर प्रदेश के, सिद्धार्थ नगर के क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मनरेगा से ले कर या वित्त आयोग के प्रस्ताव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो और उनको मानदेय दिया जाए ।